पत्रांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-04/2025 630

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

फैक्स/
ई-मेल सेवा में,

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
मुजफ्फरपुर।

/पटना, दिनांक- 18/2/2026

विषयः- **गंगा नदी के दक्षिणी तट पर भद्रघाट (गायघाट) दीदारगंज तक पटना सिटी में लगभग 7.80 कि०मी० लम्बाई में 4-लेन पथ के चौड़ीकरण/निर्माण परियोजना हेतु गंगा नदी से सिल्ट निकालने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंगः- **आपका पत्रांक-4545 दिनांक-11.12.2025**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर प्रखंड के ग्राम जफराबाद के समीप गंगा नदी में चिन्हित शोल से गाद निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ दी जाती है:-

1. वैशाली जिलान्तर्गत प्रखंड-राघोपुर, ग्राम-जफराबाद के समीप गंगा नदी में चिन्हित शोल, जिसकी सीमा बिन्दु (A) Lat-25.5932058 N Long-85.2590775 E, (B) Lat-25.5937850 N Long-85.2598880 E, (C) Lat-25.5885051 N Long-85.2640031 E, (D) Lat-25.5897095 N Long-85.2655842 E, (E) Lat-25.5896141 N Long-85.2657931 E, (F) Lat-25.5883261 N Long-85.2642456 E, (G) Lat-25.5864370 N Long-85.2675046 E (H) Lat-25.5873218 N Long-85.2682007 E (संलग्न Schematic diagram/Index Map में चिन्हित) से ही गाद की निकासी की जायेगी।
2. प्रस्तावित बिन्दु से गाद निकाला जायेगा वहाँ कम से कम LWL या उससे अधिक level (Bed level) तक एक समान समतल रूप से गाद निकालना आवश्यक होगा।
3. गाद निकालने से पहले या बाद में नदी के मुख्य धारा को अवरूद्ध नहीं करना होगा।
4. नदी edge से 500 मी० की दूरी के आगे से ही गाद निकाला जा सकेगा तथा गाद की निकासी इस प्रकार से की जाएगी कि एक Continuous channel का निर्माण हो तथा नदी की जल वहन क्षमता में वृद्धि हो सके।
5. उड़ाही में निकले मिट्टी बालू का खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार को Royality एवं Seigniorage Fee की राशि का भुगतान BSRDCL द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
6. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे किसी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटाने की जिम्मेवारी BSRDCL की होगी।
7. गाद निकासी के दौरान नदी पर बने पुल एवं अन्य संरचनाओं की सुरक्षा की जबावदेही BSRDCL की होगी।

8. गाद निकासी का कार्य बाढ़ अवधि में नहीं किया जाएगा।
9. संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं के देख-रेख में ही गाद निकासी का कार्य करना होगा।
10. गाद निकासी के दौरान अन्य आवश्यक कार्य जो जल संसाधन विभाग के मापदण्ड के अनुरूप होगा, उसे प्रयोक्ता विभाग द्वारा करना होगा।
11. नदी की Morphology को अक्षुण रखा जायेगा।
12. कार्य के दौरान नदी तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी BSRDCL की होगी।
13. कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की सूचना BSRDCL द्वारा संबंधित विभागीय कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को ससमय दिया जाएगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों यथा खान एवं भूतत्व विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त की जाएगी।
15. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा। विभाग की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयाधीन कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रदद् करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
16. कार्य के दौरान यदि जल संसाधन विभाग या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अथवा अन्य सरकारी संस्थान/आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन BSRDCL द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
17. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात ड्रोन फोटोग्राफ/विडियो संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को BSRDCL द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
18. गाद निकासी के दौरान निकाले गए गाद की मात्रा से संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को BSRDCL द्वारा विहित प्रपत्र में समय-समय पर अवगत कराना आवश्यक होगा (विहित प्रपत्र संलग्न)।
19. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन नहीं होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र रदद् करते हुए विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-04/2025 630 /पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)